डा0 भीमराव अम्बेडकर का सामाजिक और राजनीतिक दर्शन

डॉ0 सुनीता गुप्ता*

14 अप्रैल 1891 में अछूत कही जाने वाली महार जाति में जन्में सूबेदार रामसीजक पाल के सुपुत्र डॉ0 भीमराव अम्बेडकर एक महान राजनीतिक विद्वान, विचारक और बुद्धिवादी लेखक थे। वे निर्भिक वक्ता, कुशल लेखक, पत्रकार, वकील, एवं अदम्य साहस के धनी थे। डॉ0 अम्बेडकर को दलितों के मसीहा के रूप में याद किया जाता है उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य संस्कृति और परम्परा के नाम पर अमानवीयता को प्रोत्साहन देने वाले तत्वों को समस्त नष्ट करना था। उन्होंने हिन्दुओं में 'अछूत' या 'अस्पृश्य' मानी जाने वाली जातियों को संगठित किया, शासन के अंगों में उनके प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष किया और उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया। डॉ0 अम्बेडकर के विचारों पर जिन विचारकों का गहरा प्रभाव पड़ा, उनमें महात्मा बुद्ध, अमेरिकी दार्शनिक जॉन डिवी और महात्मा ज्योतिबा फूले का विशेष स्थान है। महात्मा ज्योतिबा फूले से प्रभावित होकर डॉ0 अम्बेडकर ने भी जनसाधारण की शिक्षा पर बल देते हुए शिक्षा के सहारे 'अस्पृश्य जातियों' के उत्थान का रास्ता दिखाया। स्वयं 'अछूत' जाति में जन्म लेकर उन्होंने अनवरत संघर्ष और आत्म विश्वास के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। उच्च शिक्षा का महत्व दर्शाते हुए उन्होंने यह तक दिया कि उच्च शिक्षा का लाभ उच्च जातियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। निम्न जातियों को भी अपने उत्थान के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। डॉ0 अम्बेडकर का कहना था कि 'ज्ञान', बुद्धि और बल किसी वर्ग विशेष की सम्पत्ति नहीं हो सकती है।

डॉ0 अम्बेडकर ने अपनी चर्चित कृति 'एनीहिलेशन ऑफ कास्ट' (जाति प्रथा का उन्मूलन, 1930) में हिन्दू वर्ण–व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद छुआछूत या अस्पृश्यता की प्रथा में निहित अन्याय पर प्रकाश डाला। इस पुस्तक में उन्होंने वर्ण–व्यवस्था का खण्डन किया है और साथ ही जाति व छुआछूत के उन्मूलन के उपाय सुझाये हैं। उन्होंने लिखा है कि– ''वर्णभेद ने सार्वजनिक भावना को मार डाला है। वर्णभेद के सद्गुण को जात–पांत में जकड़ दिया है।'' एक अन्य स्थान पर लिखते है कि ''जब तक वर्ण व्यवस्था है, तब तक कोई संगठन नहीं हो सकता और जब तक संगठन नहीं तब तक हिन्दू लोग दुर्बल और दब्बू बने रहेगें। उनमें आत्म शक्ति और सामाजिक समता का विकास नहीं हो पायेगा। समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे में बाधक इस वर्णवाद ने ब्राम्हणवाद को जन्म दिया और ब्राम्हणवाद ने जाति व्यवस्था एवं छुआछूत को जन्म दिया।'' वर्णवाद और जातिभेद के उन्मूलन के लिए डॉ0 अम्बेडकर ने दो उपायो पर अधिक जोर दिया है आपने लिखा है कि ''मेरा विश्वास है कि वास्तविक उपाय अन्तर्जातीय विवाह है। केवल रक्त का मिश्रण ही स्वजन तथा मित्र होने की भावना उत्पन्न कर सकता है।''

डॉ0 अम्बेडकर ने क्रांति के तौर पर अस्पृश्य समाज पर होने वाले अत्याचार एवं अन्याय के विरूद्ध आवाज बुलन्द की तथा अस्पृश्यों को त्रि–सूत्रीय उपदेश दिया– ''शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।'' उन्होंने आत्मसम्मान व स्वालम्बन का पाठ पढ़ाया एवं उन्हें बुद्ध के उपदेशों का स्मरण कराया कि– ''हे आनन्द ! तुम स्वयं ही अपना प्रकाश बनो , तुम स्वयं ही अपने शरण में जाओं, किसी अन्य की कभी शरण न लो।'' डॉ0 अम्बेडकर जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को जड़ से उखाड़ देना चाहते थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही साउथ बोरोह समिति के समक्ष गवाही देने के लिए डॉ0 अम्बेडकर को आमंत्रित किया गया। इस सुनवायी के दौरान उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की। सन् 1920 में उन्होंने जब 'मूकनायक' पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया था, तो प्रवेशांक में ही काव्यात्मक शैली में जातीय भेदभावपूर्ण स्थिति का इन शब्दों में वर्णन किया था– ''हिन्दू समाज एक बहुमंजली इमारत की तरह है, जिसमें प्रत्येक जाति इस मीनार का एक–एक तल है। ध्यान देने की बात यह है कि इस मीनार में बाहर निकलने की सीढ़ियाँ नहीं है जो जिस तल (मंजिल) में जन्म लेता है, वह उसी में मरता है।'' हिन्दू धर्मग्रन्थ यह मानते है कि वर्ण व्यवस्था ईश्वरकृत है। प्रजापति के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पॉव से शूद्र उत्पन्न हुए। वर्ण व्यवस्था निर्मित समाज में ब्राह्मण वर्ण की श्रेष्ठता और शूद्र वर्ण की हीनता पर अत्यधिक बल दिया गया है। वर्ण व्यवस्था निर्मित समाज में शूद्रों को हाशिये पर डालकर उनके शोषण

* असिस्टेन्ट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, राजकिशोर सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बरूइन, जमानियाँ, गाजीपुर

का उपक्रम किया गया। डॉ0 अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक 'जाति के उन्मूलन' में इस वर्णव्यवस्था का खण्डन किया है। साथ ही जाति व छुआछूत के उन्मूलन के उपाय सुझाये है। डॉ0 अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलित वर्गो में शिक्षा का प्रसार और उनके सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए काम करना था। सन् 1926 में वे बम्बई विधान परिषद के एक मनोनीत सदस्य बन गये। सन् 1927 में डॉ0 अम्बेडकर ने छुआछूत के खिलाफ एक व्यापक आन्दोलन शुरू करने का फैसला किया।

डॉ0 अम्बेडकर ने सार्वजनिक आन्दोलनों और जुलूसों के द्वारा पेयजल को सार्वजनिक संसाधन के रूप में समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों का भी हिन्दू में मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1927 में महाड़ तालाब, सत्याग्रह, चलाया। इसका उद्देश्य भी सार्वजनिक तालाब से पानी पीने के मानवीय अधिकार को लागू करवाना था। 1927 में डॉ0 अम्बेडकर ने अपनी दूसरी पत्रिका बहिष्कृत भारत शुरू किया। उन्हें बाम्बे प्रेसीडेंसी समिति ने सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन आयोग (1928) में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। 1929 में धारवाड़ की एक सभा में कहा था कि सच्ची प्रगति राजनीतिक ताकत हाथ में आने पर ही सम्भव हो पाती है।

7 सितम्बर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। इसमें मुस्लिमों एवं सिखों के प्रतिनिधियों के साथ अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि के रूप में डॉ0 अम्बेडकर ने भाग लिया था तथा अनुसूचित जाति, के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेम्जे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को ' साम्प्रदायिक निर्णय' प्रस्तुत करते हुए मुसलामान, सिखों एवं भारतीय ईसाइयों के साथ हरिजनों के लिए भी हिन्दुओं से अलग निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था प्रस्तुत किये। यह कार्य ब्रिटिश सरकार ने भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से किया। साम्प्रदायिक निर्णय के समय गांधी जी जेल में थे। 20 सितम्बर 1932 को गांधी जी ने जेल में ही आमरण अनशन प्रारम्भ किये। पं0 मदन मोहन मालवीय, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद, पुरूषोत्तम दास टंडन, सी0 राजगोपालाचारी के प्रयासों से गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य 26 सितम्बर 1932 को एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। समझौते के अन्तर्गत डॉ0 अम्बेडकर ने हरिजनों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया। संयुक्त निर्वाचन के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया। हरिजनों के लिए सुरक्षित 75 स्थानों से बढ़ाकर 148 कर दिया गया।

सन् 1935 में अम्बेडकर ने लाहौर में जात–पांत मण्डल के तत्वावधान में एक व्याख्यान देते हुए जाति व्यवस्था को हिन्दू धर्म के लिए घातक माना है। उन्होंने बताया कि जाति हिन्दू व्यवस्था समाज को बर्बाद कर दिया है। उनके विचार से धर्म ही ऐसा कारक है जिसके कारण हिन्दू समाज को सवर्ण एवं अछूतों के बीच में बांट दिया गया है। वर्ण का मतलब है जन्म से पहले ही व्यक्ति के धन्धे का निर्धारण डॉ0 अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक 'Who were the shudras' में कही है कि अछूतों की उत्पत्ति समाज के प्रभुत्वधारी कर्मकाण्डी ब्राह्मणों की वैचारिक देन है जिसका कोई वास्तविक आधार या प्रमाण धर्मशास्त्रों में नहीं है। डॉ0 अम्बेडकर के अनुसार ''ज्ञान, बुद्धि और बल किसी वर्ग विशेष की सम्पत्ति नहीं हो सकती।'' डॉ0 अम्बेडकर के अनुसार ''वर्ण व्यवस्था हिन्दू धर्म से अलग नहीं हो सकता और जब तक वर्णव्यवस्था आधारित भेदभाव समाप्त नहीं होगा तब तक हिन्दू धर्म में निम्न एवं दलित वर्ग के साथ किसी प्रकार के न्याय होने की सम्भावना कम ही है।'' 13 अक्टूबर 1935 में येवला 'नासिक' में आयोजित दलित सम्मेलन में कहा कि ''मैने हिन्दू धर्म में जन्म लिया क्योंकि वह मेरे हाथ में नहीं था, लकिन मैं हिन्दू धर्म में नहीं मरूंगा। 1936 में महार जाति परिषद बम्बई के अधिवेशन में ही उनका झुकाव बौद्धधर्म के तरफ हो गया। डॉ0 अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक The untouchaple में यह बताया कि अछूत लोग पहले बौद्ध थे। इस प्रकार डॉ0 अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपने दार्शनिक विचारों का मूल आधार बनाया।

डॉ0 अम्बेडकर ने 15 वर्ष के गम्भीर अध्ययन के पश्चात् बौद्ध धर्म पर "Gospel of Buddha" (बुद्ध की धर्म कथा) नामक एक विशाल ग्रन्थ लिखा। बुद्ध का धर्म मानवता का धर्म है और मानव–कल्याण के लिए इससे उपयुक्त कोई दूसरा धर्म नहीं है।'' बुद्ध ने कहा है ''मेरा धर्म समुद्र की तरह है इसमें किसी प्रकार का भेद–भाव नहीं है। बौद्ध धर्म में 'धम्म' शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें ईश्वर के स्थान पर नैतिकता की स्थापना है। इसके अनुसार कोई ऊँच–नीच नहीं हैं, सभी समान हैं। डॉ0 अम्बेडकर के अनुसार ''बौद्ध धर्म सामाजिक एकता का धर्म है और उसमें करूणा और मैत्री सम्बन्धों के आधार पर सभी लोगों को एक सूत्र में बांधने की प्रवृत्ति है। बौद्ध धर्म सामाजिक गतिशीलता, स्वतंत्रता एवं समता के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। डॉ0 अम्बेडकर का विचार है कि मानवीय मूल्यों की स्थापना एवं

मानवता के लिए समानता, स्वतंत्रता, बन्धुत्व और न्याय की ओर अग्रसर होने के लिए बुद्ध ने अनेक प्रावधान किये हैं जिनका अनुशीलन और अभ्यास करने से मानवता की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा है **''चरथ भिक्खवे चारिक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकम्पाय''** इस प्रकार बौद्ध धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है जो मानव की मुक्ति का उपाय सुझाता है और यह मानवीय मूल्यों का प्रबल समर्थक रहा है। इसी तथ्य से प्रेरित होकर डॉ0 अम्बेडकर 1950 ई0 में श्री लंका के प्रथम विश्व–बौद्ध सम्मेलन में सम्मिलित हुए। इसके बाद 1954 में वर्मा (म्यांमार) के विश्व बौद्ध सम्मेलन में सम्मिलित हुए। रंगून में अपने एक भाषण में उन्होंने कहा ''भारत में बौद्ध धर्म–वृक्ष शाखाएं और पत्ते सूख गये हैं परन्तु उसकी जड़ आज भी हरी–भरी है।'' 14 अक्टूबर 1956 में डॉ0 अम्बेडकर नागपुर में दो लाख से अधिक लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। डॉ0 अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक **''दी बुद्ध एण्ड हिज धम्म''** (मार्च 1956) में बौद्धधर्म को वैकल्पिक दर्शन का स्वरूप स्वीकार किया। उनका बौद्ध धर्म स्वीकार करना कोई दार्शनिक चिन्तन का परिणाम नहीं रहा, अपितु एक सुधारवादी आन्दोलन को उन्होंने गले लगाया।

डॉ0 अम्बेडकर स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व को सामाजिक–न्याय का मापदण्ड मानते थे। डॉ0 अम्बेडकर के सामाजिक–न्याय सम्बन्धी विचारों का भारतीय संविधान पर दोहरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। उनके प्रयास से ही संविधान में अनुसूचित जातियों , जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो को सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं। संविधान के माध्यम से डॉ0 अम्बेडकर ने न्याय को मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक तीन आयामों पर उतारने की कोशिश की इन आयामों पर संविधान में विशिष्ट प्रावधान किये गये हैं– सामाजिक–न्याय में

1. समानता का अधिकार (अनु0 14–18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनु0 14–22)
3. शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनु0 23–24)
4. संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (अनु0 29–30)
5. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु0 32)

जिनमें अनु0 14 – कानून के समक्ष समानता, अनु0 15 (1) – धर्म जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि का आधार पर भेदभाव की समाप्ति , अनु0 15 (2) धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, जन्मस्थान के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, मनोरंजन स्थलों, कुंओं , तालाबों, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग करने के निर्योग्य नहीं समझा जायेगा। अनु0 29 (2) सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार, अनु0 16 (4) पिछड़े वर्गो को रोजगार हेतु आरक्षण का प्रावधान। अनु0 16 लोकसेवाओं में अवसर की समानता, अनु0 17 – अस्पृश्यता का अन्त। आर्थिक न्याय में अनु0 19 (6) सभी नागरिकों को कोई भी वृत्ति व्यापार, आजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता अनु0 39 (a) आजीविका के पर्याप्त साधन की व्यवस्था, अनु0 39 (b) (1) समान कार्य के लिए समान वेतन आदि राजनैतिक न्याय में अनु0 325 नागरिक मताधिकार, अनु0 326 – सामान्य चुनाव, अनु0 330 – 332 अनुसूचित जातियों एवं अनुसचित जनजातियों के लिए लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में सीटों का आरक्षण, 73वां तथा 74वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों तथा नगर निकायों में सीटों का आरक्षण।

संविधान के अनुच्छेद 350 ए में प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने का प्रावधान है। संविधा में अनु0 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का दायित्व राज्य को सौंपा गया था जिसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 में 21 (क) को जोड़कर प्रारम्भिक शिक्षा को नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया गया। अनु0 21 (क) के अनुसार राज्य छः से चौदह वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनु0 46– राज्य कमजोर वर्गो विशेषकर अनुसूचित जाति व जनजाति की शैक्षिक तथा आर्थिक उन्नति को विशेष रूप से प्रोत्साहित करेगा तथा उनको सामाजिक अन्याय तथा धोखे से बचायेगा।

डॉ0 अम्बेडकर नारी की उन्नति एवं मुक्ति के समर्थक थे। उनकी मान्यता थी कि नारी की प्रगति के बिना समाज की प्रगति सम्भव नहीं है उनका कहना था कि किसी समुदाय विशेष ही नहीं बल्कि समूचे राष्ट्र की प्रगति का पैमाना यह है कि वहां की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। उन्होंने संविधान में प्रत्येक स्तर पर लिंग के आधार पर समानता का प्रावधान दिया। उन्होंने कानून मंत्री रहते

हुए हिन्दू समाज में व्याप्त असमानता एवं महिलाओं की स्थिति को सशक्त बनाने के लिए संसद में 5 फरवरी 1951 को हिन्दू कोड बिल प्रस्तुत करते हुए कहा– ''यदि आप हिन्दू व्यवस्था, हिन्दू संस्कृति और हिन्दू समाज की रक्षा चाहते हैं तो इनमें जो दोष पैदा हो गये है उनको सुधारने में तनिक झिझक नहीं होनी चाहिये। हिन्दू कोड बिल हिन्दू व्यवस्थ में केवल उन्हीं अंशों में सुधार चाहता हैं जो विकृत हो गये है, उनसे अधिक कुछ नहीं।'' उस समय इस बिल के पास न होने के विरोध स्वरूप 27 सितम्बर 1951 को कानून मंत्रीपद से त्यागपत्र दे दिये। बाद में हिन्दू कोड बिल को चार हिस्सों में पारित हुआ। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिन्दू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम 1956, हिन्दू गोद और भरण पोषण अधिनियम 1956 आदि कानून धीरे–धीरे पारित हुए। इन सब कानूनों के आधार पर ही महिलाओं को बच्चों को गोद लेने, विवाह, पुनर्विवाह, विवाह विच्छेद, पैतृक सम्पत्ति में उत्तराधिकारी बनना आदि कानूनी अधिकार प्राप्त हुए।

इस प्रकार डॉ0 अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय बेमानी है जहां व्यक्ति के महत्व को स्वीकार नहीं किया जाता और उसकी गरिमा की रक्षा नहीं होती। डॉ0 अम्बेडकर 1949 में संविधान सभा के बैठक के दौरान कहे थे कि इस देश में राजनैतिक ताकत पर लम्बे समय से कुछ खास लोगों का एकाधिकार रहा है। इस एकाधिकार ने अधिसंख्य लोगों को न केवल बेहतर जीवन व्यतीत करने के अवसर से वंचित किया है बल्कि उन्हें उससे भी दूर रखा है जिसे जीवन की सार्थकता कहा जा सकता है। यही कारण है कि उन्होंने संविधान में आरक्षण के प्रावधान सुनिश्चित कराये ताकि समाज में व्याप्त गैर बराबरी और असमानता को कम किया जा सके।

डॉ0 अम्बेडकर ने दलितों, पिछड़ों, महिलाओं तथा गरीबों को सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए अपने विचारों, भाषणों, पुस्तकों, संगठनों एवं आन्दोलनों के माध्यमों से आजीवन संघर्ष किया। अम्बेडकर जी ने समाज में महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय व शोषण का विरोध किया तथा महिलाओं के अधिकारों की वकालत की। अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय का आधार सभी मानव के बीच समानता , उदारता तथा भाईचारे की भावना है। सामाजिक न्याय का उद्देश्य जाति, रंग, लिंग, शक्ति, स्थिति तथा धन–दौलत आदि पर आधारित सभी असमानता को दूर करना है। अम्बेडकर के अनुसार मनुष्य द्वारा बनाई गई असमानताओं को कानून, नैतिकता तथा जागरूकता के द्वारा समाप्त कर सामाजिक न्याय की स्थापना की जानी चाहिए। जिसमें सामाजिक–आर्थिक तथा राजनीतिक स्रोतों पर सभी को समान अधिकार प्राप्त हो।

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का व्यक्तित्व बहुआयामी था वे एक महान चिंतक, विचारक समाज सुधारक, राजनेता, शिक्षाविद तथा न्यायशास्त्री माने जाते है। डॉ0 अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म एवं दर्शन को अपने दार्शनिक विचारों का मूल आधार बनाया। बौद्धदर्शन को अपना मानवतावादी चिन्तन का आधार बनाकर उन्होंने ब्रम्हा, आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, वर्ण, मोक्ष आदि पर अपने दार्शनिक विचारों का विश्लेषण किया। उन्होंने बौद्ध धर्म का विश्लेषण मानवतावाद के रूप में किया। समता, स्वतंत्रता तथा बंधुता के प्रबल समर्थक डॉ0 अम्बेडकर का दर्शन मानवतावादी दर्शन है जो सभी धर्मो को एक समान मानता है। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन मानव अधिकार, सामाजिक न्याय तथा दलितों के उद्धार के लिए समर्पित कर दिया। उनके जीवन का एक मात्र लक्ष्य संस्कृति और परम्परा के नाम पर अमानवीय, अन्याय एवं शोषण को प्रोत्साहन देने वाले तत्वों को समूल नष्ट करना। इस सन्दर्भ में उन्होंने कहा, ''मैं घृणा करता हूं अन्याय से अत्याचार से, बनावटी गौरव और वैभव से और व्यर्थ के विवाद से और मेरी घृणा की लपेट में वे सभी व्यक्ति आते है, जो इन सब बातों से ग्रस्त हैं।''

सन्दर्भ :

1. गाबा, ओम प्रकाश : भारतीय राजनीति विचारक, प्रकाशक मयूर पेपर बैक्स
2. गुप्ता, एम0एल0, शर्मा, डी0डी0 : भारतीय समाज निरन्तरता एवं परिवर्तन के मध्य, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा
3. पाण्डेय, डा0 जय नारायण : भारत का संविधान, प्रकाशक सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद
4. Ahuja, Raw : Social problems in India
5. Desai, A.R. : Social Background of Indian Nationalism Popular prakashan.
6. Srinivas, M.N. : Caste its Twentieth Century Avatar, Publisher - Penguin India